



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-55/2022-23

कुलदीप ठाकुर

बनाम्

पवन साह

—: आदेश :—

देनांक 12/8/24

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता कुलदीप ठाकुर, पे0-स्व0 गणेश ठाकुर, सा0-लालपुर, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-49/2016-17 के आदेश दिनांक-18.11.2022 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-अमडीहा नं0-373, जमाबंदी सं0-06, दाग नं0-209 कुल रकवा 00-17-02 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत कपूरी ओस्ता वल्द जीतु ओस्ता के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत कपूरी ओस्ता अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः 1. लक्ष्मण ओस्ता, 2. गणेश ओस्ता एवं 3. हुरो ओस्ता को छोड़कर फौत कर गये। अपीलकर्ता गणेश ओस्ता के पुत्र है। अपीलकर्ता के अन्य चार भाई भी हैं, लेकिन सभी भाई घर से बाहर रहकर मजदूरी का कार्य करते हैं। अपीलकर्ता एवं उनके अन्य भाईयों के अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उत्तरवादी ने अपने चचेरे भाई के सहयोग से अपीलकर्ता के हिस्से की जमीन का अतिक्रमण कर उसमें जबरन मकान का निर्माण कर लिया है एवं उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उक्त जमीन उनके द्वारा क्रय किया गया है। लेकिन उक्त जमीन जमाबंदी के अन्तर्गत की कृषि योग्य जमीन है एवं उक्त जमाबंदी जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी पवन साह एवं भगवान साह अपीलकर्ता के परिवार के सदस्य नहीं हैं। बल्कि वह बाहरी व्यक्ति है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन कर जबरन अपीलकर्ता के पैतृक जमीन को अवैध ढंग से कब्जा किया है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते

हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

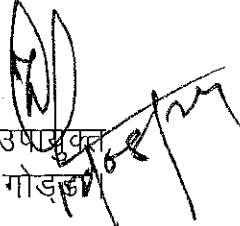
उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-अमडीहा नं०-373, जमाबंदी सं०-06, दाग नं०-209 रकवा 00-17-03 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कपूरी ओस्ता के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत कपूरी ओस्ता अपने पीछे तीन पुत्र लक्ष्मण ठाकुर, गणेश ठाकुर एवं हुरो ठाकुर को छोड़कर फौत कर गये। तीनों पुत्रों ने उक्त जमाबंदी की जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया एवं आपसी बँटवारा के आधार पर अपने-अपने हिस्से की जमीन पर दखलकार हुए। लक्ष्मण ठाकुर ने अपने मित्र जगदीश साह, पे०-स्व० हरि गोविन्द साह, सा०-हंसडीहा, जिला संथाल परगना को वर्ष 1936 में स्थायी रूप से कुर्फा कागजात के द्वारा मौजा-अमडीहा नं०-373, जमाबंदी सं०-6 के दाग नं०-209 रकवा 00-17-03 धुर के अन्तर्गत रकवा 00-01-00 धुर (एक कट्ठा) जमीन बंदोवस्त कर दिया था। बंदोवस्त के बाद उक्त जमीन पर जगदीश साह दखलकार हुए एवं उसपर कच्चे मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। चूँकि वर्ष 1936 ई० में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 प्रभावी नहीं था। इसलिए उक्त जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं हो सकता है। इस प्रकार उक्त पर जगदीश साह को स्वत्व प्राप्त हो गया है। कालान्तर में जगदीश साह ने विपक्षी के साथ अपनी पुत्री संगीता देवी की शादी की एवं पारिवारिक व्यवस्था के तहत जगदीश साह ने उक्त जमीन अपने दामाद विपक्षी पवन साह को वासोवास के लिए दिया। विपक्षी ने उक्त जमीन पर स्थित कच्चे मकान को तोड़कर उसपर ईंट से तीन कमरे का पक्का मकान, किचन, शौचालय का निर्माण किया गया है एवं उसपर सपरिवार निवास करने लगे तथा साथ ही उसपर अपना स्टील फर्नीचर वर्कशॉप भी चलाते हैं, जिससे रोजगार चलाकर रोजी रोटी का व्यवस्था कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं और इस कार्य के लिए पी०एम०आर०वाय० योजना के तहत ऋण भी प्राप्त किया है। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत के वारिस मो० सातोवती, पति-स्व० लक्ष्मण ठाकुर के द्वारा दिनांक-13.02.2004 को शपथ पत्र के द्वारा स्वीकार किया है कि जगदीश साह को रकवा 00-01-00 धुर जमीन लक्ष्मण ठाकुर के द्वारा वर्ष 1936 ई० में कुर्फा द्वारा बंदोवस्त किया गया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में भी इन्टरभेनर

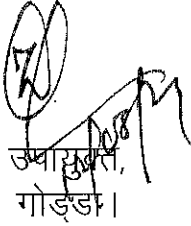
नवीन चन्द्र ठाकुर के द्वारा आवेदन दिया गया कि उक्त जमीन जगदीश साह को कुर्फा बंदोवस्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर उत्तरवादी का आवासीय मकान बना हुआ है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा अमडीहा नं०-373 के जमाबंदी सं०-06 के अन्तर्गत दाग नं०-209, कुल रकवा 00-17-02 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कपुरी ओस्ता वल्द जीतु ओस्ता के नाम से दर्ज है। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता जमाबंदी रैयत के वंशज है। उत्तरवादी का गत जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। उत्तरवादी वर्ष 1936 ई० कुर्फा बंदोवस्ती के आधार पर उक्त जमाबंदी के दाग नं०-209 के अंदर रकवा 00-01-00 धुर जमीन पर दावा किया है। लेकिन प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने का कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। चूँकि मामला संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-49/2016-17 में पारित आदेश दिनांक-18.11.2022 को निरस्त किया जाता है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को रिमाण्ड किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपस्थित,
गोड्डा।


उपस्थित,
गोड्डा।